

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प...जायपुर...कला

क्रमांक: राजस्व/PHKS/2022/29

दिनांक : 22/06/22

मि.नं. 136/22

आदेश

आवेदक श्री शंकर लाल ने
तहसील चाकसू में ग्राम बाढ़ बागपुरा स्थित आराजी
ख.न. रकबा के संबंध में जमाबन्दी
सम्बत् 2076-79 के खाता संख्या 124, 125, 127 पर अंकित प्रविष्टि
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
बाढ़ बागपुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 124, 125, 127 की प्रविष्टि के
स्थान पर शंकर लाल पुत्र रामनाथ
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार चाकसू द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अनिर्णय की है।


अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
पटवारी हल्का बाढ़ बागपुरा की रिपोर्ट व तहसीलदार चाकसू
की अनिर्णय के आधार पर प्रार्थी श्री शंकर लाल पुत्र
श्री रामनाथ जाति बैरा निवासी बाढ़
बागपुरा तहसील चाकसू के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत् 2076-79
के खाता संख्या 124, 125, 127 में अंकित प्रविष्टि शंकर लाल पुत्र रामनाथ
के स्थान पर शंकर लाल पुत्र रामनाथ
कर जाने की
स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।


शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
दिनांक : 22/06/22

क्रमांक: राजस्व/PHKS/2022/30-31

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार चाकसू
2. पटवारी हल्का बाढ़ बागपुरा


शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)